राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–3489 / 2021

अरविन्द कुमार

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, सामान्य प्रशासन एवं स्टेट मोटर गैराज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

आदेश दिनांक : 11.10.2022

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :– शुभा मेहता, सदस्य(न्यायिक)
मातादीन शर्मा, सदस्य

आदेश

मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण), अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार करते हुए अपील की सुनवाई की गई।

अपील की ग्राहयता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

अपीलार्थी वाहन चालक के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 25.08.2021 (अनुलग्नक–1) को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को कार्यालय नियंत्रक एवं पदेन संयुक्त सचिव, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग, जयपुर के लिये कार्यमुक्त किया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि आलोच्य आदेश दिनांक 25.08.2021 (अनुलग्नक–1) द्वारा उसे जिला कलेक्टर, झुन्झुनू द्वारा कार्यमुक्त किया गया है। उनका तर्क है कि दिनांक 13.08.2021 (अनुलग्नक–2) के आदेश द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी क्रम 4 के स्थान पर जिला पूल झुन्झुनू में किया गया था। इस आदेश की पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 24.08.2021 को कार्यभार संभाल लिया, उसके कार्यभार संभालने के पश्चात आलोच्य आदेश द्वारा उसे जिला कलेक्टर ने कार्यमुक्त किया है, जो सर्वथा विधि विरूद्ध है।

उनका तर्क है कि आदेश की पालना हो जाने के पश्चात् पुनः उसे स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है। उनका यह भी तर्क है कि आलोच्य आदेश दिनांक 25.08.2021 (अनुलग्नक–1) अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग का यह अंकित किया जाना सही नहीं है कि जिला पूल, झुन्झुनू में वाहन चालको के पद रिक्त नहीं है, क्योंकि जिला पूल, झुन्झुनू में कई वाहन चालक संविदा पर कार्य कर रहे हैं। उनका तर्क है कि जब न्यायालय में मामला लंबित हो तो उसे कार्यमुक्त नहीं किया जा सकता है, जैसाकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या–3732/2005 राजेन्द्र सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20.10.2005 में प्रतिपादित किया गया है। उनका तर्क है कि अधिकरण जयपुर में स्थानान्तरण आदेश दिनांक 13.08.2021 के विरूद्ध निजी प्रत्यर्थी क्रम 4 द्वारा अपील प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें पारित स्थगन आदेश दिनांक 19.08.2021 का हवाला देकर आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जबकि माननीय अधिकरण ने अपीलार्थी अरविन्द कुमार को कार्यमुक्त करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई आदेश पूर्व में प्रस्तुत अपील में नहीं दिया था। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील ग्राह्य की जाकर आलोच्य आदेश की क्रियान्विति को अपीलार्थी के सम्बन्ध में स्थगित किया जावे।

हमने विद्वान् अधिवक्ता के तर्को पर मनन किया और पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश दिनांक 13.08.2021 (अनुलग्नक–2) द्वारा जिला पूल बाडमेर से जिला पूल झुन्झुनू में किया गया था। इस स्थानान्तरण आदेश की पूर्ण पालना अपीलार्थी द्वारा की जा चुकी है और उसने दिनांक 24.08.2021 को जिला पूल झुन्झुनू में कार्यभार संभाल लिया है। उसके कार्यभार संभालने के पश्चात उसे पुनः जिला कलेक्टर द्वारा नियंत्रक एवं पदेन संयुक्त सचिव, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग, राजस्थान, जयपुर के लिये कार्यमुक्त किया गया है, जिसका प्रभाव आदेश की पालना के पश्चात पूर्व के आदेश को निरस्तीकरण करने का है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या–3732/2005 राजेन्द्र सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20.10.2005 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि स्थानान्तरण आदेश की पालना होने के पश्चात उक्त आदेश में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जहां तक प्रत्यर्थी क्रम 4 की ओर से प्रस्तुत पूर्व अपील में दिये गये स्थगन आदेश का प्रश्न है उस

स्थगन आदेश में कहीं भी यह अंकित नहीं किया गया है कि अपीलार्थी ने कार्यभार संभाल लिया है तो पुनः पूर्व पदस्थापन के स्थान पर कार्यग्रहण हेतु कार्यमुक्त किया जावे। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा राजेन्द्र सिंह बनाम राजस्थान राज्य में यह निर्णित किया गया है कि मामले के लम्बित रहते हुए स्थानान्तरण आदेश को रद्द किया जाना उचित नहीं है, प्रकरण को गुणावगुण पर तय किया जाना चाहिए। अतः उक्त आधार पर अपील ग्राहय् की जाती है। स्थगन प्रार्थना–पत्र पर यह अन्तरिम आदेश दिया जाता है कि विवादग्रस्त आदेश दिनांक 25.08.2021 (अनुलग्नक–1) की पालना में अपीलार्थी ने यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया हो तो विवादग्रस्त आदेश दिनांक 25.08.2021 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) अधिकरण के आगामी आदेश तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में स्थगित रहेगा। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी पूर्ववत पूर्व कार्य स्थल पर कार्य करता रहेगा।

साथ ही यह आदेश भी दिया जाता है कि निजी प्रत्यर्थी क्रम–4 सुरेश कुमार द्वारा जो अपील संख्या–3113/2021 अधिकरण में प्रस्तुत की गयी है। उसी के साथ यह अपील भी संलग्न की जावे और दोनों के सम्बन्ध में सुनवाई एक साथ की जावे। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग नये सिरे से पक्षकारों के सम्बन्ध में नियमानुसार स्थानान्तरण आदेश जारी करने के लिये स्वतंत्र है और उसमें यह आदेश किसी रूप में बाधक नहीं होगा।

प्रत्यर्थी को दिनांक ..... के जवाब एवं स्थगन प्रार्थना पत्र के नोटिस जारी हो।

अपीलार्थी अथवा उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा दो सप्ताह में प्रत्यर्थीगण के नोटिस, अपील मय प्रलेख की प्रति प्रस्तुत किये जावे, नोटिस प्रस्तुत होने पर प्रत्यर्थी के नोटिस अपीलार्थी को दस्ती दिये जावें। इन निर्देशों की पालना न करने पर उक्त स्थगन आदेश स्वतः ही प्रभावहीन हो जावेगा।

पत्रावली दिनांक 11.10.2022 वास्ते जवाब एवं तामील समक्ष रजिस्ट्रार पेश हो।

(मातादीन शर्मा)
सदस्य

(शुभा मेहता)
सदस्य (न्यायिक)

R